HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
Gauradevi Paryavaran Bhawan
46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,
Dehradun (Uttarakhand)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Factual and Action Taken Report in compliance of order dated 18.04.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in the matter of Original Application No. 172 of 2022 titled Jaswinder Singh VS State of Uttarakhand.

INDEX

Sr. No.	Description of Documents	Page No(s)
1	Factual and Action Taken Report	1 - 4
2	**Annexure-1**. Factual & Action Taken report of Joint Committee dated 24.05.2022	5 - 20

Date: 04.07.2022
Place: Dehradun

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT

In the matter of
Original Application No. 172 of 2022

In the matter of:

Jaswinder Singh .... Applicant

Versus

State of Uttarakhand .... Respondent

I. BACKGROUND

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 172 of 2022 titled Jaswinder Singh Versus State of Uttarakhand, issued following directions on 18.04.2022:

   xxx..................................xxx.......................................xxx

   2. *Having regard to the seriousness of the allegations, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the State PCB, Divisional Forest Officer, Haridwar and District Magistrate, Haridwar. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF*

   xxx..................................xxx.......................................xxx

2. In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 18.04.2022, the Joint Committee undertaken inspection of area in question on 24.05.2022. Following officials were part of Joint Committee:

i) Forest Range Officer, Shyampur Range, Haridwar Forest Division, Haridwar.
ii) District Mining Officer, Geology & Mining Unit, Haridwar.
iii) Assistant Scientific Officer, Regional Office, Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Roorkee (Haridwar).

II. FACTUAL REPORT

1. The Joint Committee visited the area in question i.e Khasra No. 1890, Village Rasulpur Meethiberi, District Haridwar on 24.05.2022. Copy of Factual and Action Taken Report of Joint Committee is enclosed as **Annexure-1**.

2. As per point No. 3 of Joint Report of the Committee, penal action was taken against Shri Aalok Trivedi lessee of khasra no. 1890 at village Rasulpur Meethiberi, District Haridwar due to illegal mining apart from permitted area and mined below the permitted depth, under the provisions of the Uttarakhand Illegal Mining and Storage Rules, 2020. The District Magistrate, Haridwar has issued show cause notices vide dated 01.12.2021 for penalty of Rs. 21,56,000.00 and show cause notice vide dated 01.12.2021 for penalty of Rs. 17,00,160.00 (total Rs. 38,56,160.00) against lessee i.e. Shri Aalok Trivedi.

3. As per point No. 5, there was no mining activities were observed by the Committee at the time of inspection, however, it was reported that the lessee has undertaken river training work below the 3 to 7 feet of actual river level. The District Administration has already initiated the penalty action against the lessee.

4. The Forest Division, Haridwar has also observed illegal mining in the area other than permitted area and after due ingestion and report of Investigating Officer, the forest department has filed forest crime case before the Chief Judicial Magistrate, Haridwar vide letter ref no. 4243/29-3 dated 04.05.2022 against the lessee

i.e. Aalok Trivedi. Matter of forest crime is under trial before the court of the Chief Judicial Magistrate, Haridwar.

III. CONCLUSION:

1. Based on observation of the Joint Committee, it is evident that Shri Aalok Trivedi i.e. lessee of Khasra No. 1890, Village Rasulpur Meethiberi, District Haridwar has undertaken illegal mining in the area other than the permitted area and also below the permitted depth. District Magistrate, Haridwar has already initiated penalty action against the lessee under the provisions of the Uttarakhand Illegal mining and Storage Rules, 2020.

2. The Forest Division, Haridwar has also filed forest crime case against the lessee before the court of the Chief Judicial Magistrate, Haridwar. Matter of forest crime is under trial before the court of the Chief Judicial Magistrate, Haridwar.

****

Factual and Action taken Report

Annexure-1

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या 172/2022 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 18.04.2022 के अनुपालन मे गठित समिति के माध्यम से वॉछित **Factual and Action taken Report** उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य पर्यावरण अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या **UKPCB/ HO**/सा0–183–560/2022/78 दिनॉक 23.04.2022 के क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश संख्या 33/खनन सहा0/2022 दिनॉक 24 मई 2022 एवं क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरिद्वार के कार्यालय पत्र संख्या **UKPCB/ROR**/सा0–147 (35)/2022/157 दिनॉक 06 मई 2022 पर उप वन संरक्षक हरिद्वार के टिप्पणी आदेश दिनॉक 23.05.2022 के द्वारा गठित समिति के सदस्यो, वन क्षेत्राधिकारी, श्यामपुर रेंज, वन प्रभाग हरिद्वार, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी (हरिद्वार) एवं जिला खान अधिकारी, भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, हरिद्वार द्वारा दिनॉक 24.05.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है, क्षेत्र के सन्दर्भ में पूर्व स्वीकृती रिवर टैनिंग अनुज्ञा हेतु संक्षेप आख्या एंव वर्तमान में गठित समिति की सं0 निरीक्षण आख्या बिन्दुवार निम्नवत् प्रस्तुत है :–

1. जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश स0 684, दिनांक 13.06.2018 के द्वारा उच्चतम् बोलीदाता श्री आलोक द्विवेदी के पक्ष में ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी के खसरा स0 1890 के अन्तर्गत कुल 8000 घनमी0 उपखनिज/मलबे की मात्रा की निकासी/सफाई हेतु रिवर टैनिंग कार्यदेश दिनांक 13.06.2018 से 30.06.2018 तक के लिये स्वीकृत किया गया।
2. अनुज्ञाधारक द्वारा उक्त कार्य ससमय् पूर्ण नहीं किया जा सका, तदोपरान्त् शासन के कार्यालय पत्र स0 1702, दिनांक 14.10.2021 के द्वारा पुनः अवशेष मात्रा की निकासी अथवा 2 माह जो पहले घटित होने तक के लिये पुनः समयविस्तार आदेश जारी किया गया, जिसके कम मे जिलाकार्यालय के आदेश स0 2019, दिनांक 25.10.2021 द्वारा 2 माह समयावधि हेतु कार्यादेश जारी किया गया एंव वन मार्ग की अनुमति उप वन संरक्षक कार्यालय हरिद्वार के कार्यालय पत्र स0 2521/2–3, दिनांक 28.10.2021 द्वारा प्राप्त कर कार्य अनुज्ञाधारक द्वारा अवशेष रिवर टैनिंग कार्य आरम्भ किया गया।
3. अनुज्ञाधारक को खसरा स0 1890 में स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र एंव अनुज्ञा क्षेत्र के बाहर, किये गये अवैध खनन के सन्दर्भ में प्रशासन द्वारा अनुज्ञाधारक के विरूद्व उत्तराखण्ड अवैध खनन, भण्डारण नियमावली 2020 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी गयी है तथा जिलाधिकारी कार्यालय के कारण बताओ नोटिस स0 1, दिनांक 1.12.2021 द्वारा रू0 21,56,000/–, एंव कारण बताओ नोटिस स0 2, दिनांक 1.12.2021 द्वारा रू0 17,00160/– अर्थात् कुल रू0 38,56,160/– का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

4. प्रश्नगत् क्षेत्र में उक्त रिवर टैनिंग अनुज्ञा के संचालित कार्य के विरूद्व श्री जसबीर सिंह पुत्र लक्खा सिंह, निवासी रसूलपुर, लालढांग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका स0 2512 WPMS 2021 पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2022 के द्वारा निम्नवत आदेश दिये गये है ...... **In that view of the matter, so far as the relief Nos.1, 2 and 3 are concerned, no cause of action as such, now survives, because of the lapse of extended time period of mining activities in favour of respondent No. 5. So far as relief No. 4 is concerned, as already observed, the respondents are directed to hold a fresh auction for the grant of mining lease, qua khasra number mentioned in relief No.4, as per law, Subject to the above observations, the writ petition stands disposed of.** "

5. वर्तमान में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 172/2022 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 18.04.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा की गयी संयुक्त जॉच के बिन्दु निम्नानुसार है-

5.1 प्रश्नगत् क्षेत्र मे संयुक्त निरीक्षण के दौरान गठित समिति के सदस्यों द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 18.04.2022 में सन्दर्भित खसरा स0 1890, ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी, क्षेत्र के निरीक्षण में भारी मशीनों के माध्यम से किसी प्रकार का अवैध खनन संचालित नही देखा गया, आदेश में सन्दर्भित क्षेत्र में खनन सकियाये संचालित नही पायी गयी। (चित्र संख्या 1)

चित्र–1, सन्दर्भित क्षेत्र (खसरा स0 1890 एंव अन्य) का दृश्य।

5.2 माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनॉक 18.04.2022 में सन्दर्भित ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी के खसरा संख्या 1890 की जाँच के दौरान समिति द्वारा अनुज्ञाधारक के रिवर टैनिंग कार्य आंकलन किया गया, तथा मलवा सफाई का कार्य नदीतल के वास्तविक लेबल/स्तर से औसतन 3 से 7 फीट गहराई तक देखा गया है जहां स्वीकृत गहराई से अधिक अवैध खनन किये जाने पर प्रशासन द्वारा नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की गयी है, विवरण उपरोक्त बिन्दु स0 3. (चित्र संख्या 2)

चित्र–2, सन्दर्भित क्षेत्र खसरा स0 1890 में स्वीकृत रिवर टेनिंग अनुज्ञा स्थल का दृश्य।

5.3 निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया है कि नदीतल के वास्तविक लेबल/स्तर अपने दोनो किनारो के प्राकृतिक लेवल – भूसतह से औसतन 8–9 फीट गहराई पर स्थित है न कि 20 फीट गहराई पर। (चित्र संख्या 3)

चित्र संख्या 3– नदीतल का वास्तविक लेवल एंव समीप के किनारों के लेवल/स्तर का दृश्य।

5.4 निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल मे उपस्थित वन क्षेत्राधिकारी, श्यामपुर रेंज एवं वन विभाग के सर्वेक्षक द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश दिनाक 18.04.2022 मे सन्दर्भित खसरा संख्या 1890 से राजाजी राष्ट्रीय पार्क की सीमा को 04 कि0मी0 से अधिक दूरी पर होना बताया गया है।

5.5 यह भी उल्लेखनीय है कि सन्दर्भित क्षेत्र में एवं समीपवर्ती वन एवं राजस्व भागो मे अवैध खनन किये जाने पर तत्समय वन विभाग एवं प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अनुज्ञाधारक के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, तथा वर्तमान में सन्दर्भित क्षेत्र/खसरा स0 1890 में कोई कार्य सचालित नही है, आख्या सादर प्रस्तुत है।

वन क्षेत्राधिकारी श्यामपुर रेंज, हरिद्वार।	जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हरिद्वार।	सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूडकी, हरिद्वार।

SDM

कार्यालय जिलाधिकारी,हरिद्वार

संख्याः– 1073 /खनन सहा0–2022 दिनांकः 25 जून,2022

जिला खान अधिकारी,
हरिद्वार

कृपया उप वन संरक्षक,हरिद्वार वन प्रभाग,हरिद्वार की आख्या संख्या 7170/2–3 दिनांक 25.06.2022 का अवलोकन करन का कष्ट करें जोकि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण आख्या मेल द्वारा प्रस्तुत की गई है। आप एवं उप जिलाधिकारी,हरिद्वार द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या भी संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त संयुक्त स्थल निरीक्षण नियत तिथि से पूर्व मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली न्यायालय मे नियमानुसार जमा कराकर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार

25/6/22

(वीर सिंह बुदियाल),
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार ।

कु० रश्मि / श्री पंकज

तत्काल पुनर्निरीक्षण कार्रवाई को ई० मेल के माध्यम से आवश्यक कार्य

25.6.2022

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

दूरभाष/फैक्स 01334-220271 email : dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक : 7170 /2-3, हरिद्वार दिनांक 25 जून 2022

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

विषय : मूल आवेदन संख्या-172/2022 जसविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-18.04.2022 के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक- 04/खनन सहायक/2022-23, दिनांक-18.06.2022 एवं आपका पत्रांक-203/हरिद्वार/भू0खनि0ई0/2022-23 दिनांक-17.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम मे हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार से अपेक्षित आख्या निम्न प्रकार आपके अवलोकनार्थ प्रेषित है:-

1. यह कि जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक-1019/खनन सहा0 (निलामी), दिनांक-25.10.2021 से श्री आलोक द्विवेदी पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश निवासी रसूलपुर बड़ा नलोवाला तहसील व जिला हरिद्वार के ग्राम रसूलपुर मिठ्ठीबेरी क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या-1890 क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर मे 8000 घन मीटर भूमि से अवशेष आर0बी0एम0/मलवा निस्तारण किये जाने हेतु रिवर ट्रेनिंग नीति 2016 के अनुसार आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत 8000 वर्गमीटर क्षेत्र मे 8000 घन मीटर भूमि से अवशेष आर0बी0एम0/मलवा निस्तारण किये जाने हेतु 2 माह की अवधि के लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी थी। उक्त अनुज्ञा के क्रम मे वन क्षेत्राधिकारी चिड़ियापुर की रिपोर्ट जिस पर उप प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार द्वारा संस्तुति के क्रम मे इस कार्यालय के पत्रांक-2521/2-3 दिनांक-28.10.2021 से आवेदक/पट्टा धारक को शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रास्ते की अनुमति प्रदान की गयी।

2. खनन पट्टा धारक द्वारा अवैध खनन किये जाने तथा अवैध खनन की पुष्टि होने पर पट्टा धारक को पूर्व मे दी गयी अनुमति को निरस्त करते हुए पट्टा धारक द्वारा खनन पट्टे की आड मे खनन पट्टा क्षेत्र की सीमा के समीप मीठीबेरी बीट के अन्तर्गत मीठीबरी कक्ष संख्या-1 के वन क्षेत्र मे गडढे पाये जाने पर अज्ञात मे वन अपराध संख्या-28/श्या0/2021-22 जारी किया गया। जारी किये गये वन अपराध की जांच किये जाने हेतु जांच अधिकारी को वन अपराध प्रेषित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा वन अपराध की विवेचना कर आरोप पत्र इस कार्यालय के पत्रांक-4243/29-3 दिनांक-04.05.2022 से माननीय मुख्य दण्डाधिकारी हरिद्वार के न्यायालय मे दायर किया गया। दायर किया गया वन अपराध वर्तमान मे माननीय न्यायालय हरिद्वार मे विचाराधीन चल रहा है।

3. यह कि क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक-यू.के.पी.सी.बी/आर0ओ0आर0/सा0-147 (35)/2022/157 दिनांक-06.05.2022 द्वारा विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध मे विषयक क्षेत्र का निरीक्षण करने हेतु संयुक्त कमेटी का गठन किया गया था, के क्रम मे हरिद्वार वन प्रभाग

Scanned with CamScanner

हरिद्वार द्वारा श्री विनय राठी, वन क्षेत्राधिकारी को नामित किया गया था। संयुक्त कमेटी जिसमें खनन अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री अजीत सिंह, श्री विनय राठी वन क्षेत्राधिकारी, श्री हरीश ध्यानी प्रभागीय सर्वेयर एवं वन क्षेत्राधिकारी, श्यामपुर के कर्मचारी श्री नारायण सिंह वन दरोगा व श्री शिवेक कुमार वन रक्षक मौजूद थे। संयुक्त कमेटी द्वारा मौके पर क्षेत्र के फोटोग्राफ लिये गये जो आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसारः–

भवदीय

(दीपक सिंह)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वनप्रभाग, हरिद्वार।

पत्रांक 7170 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड सिंचाई परिकल्प भवन परिसर रूड़की को उनके पत्रांक––यू.के.पी.सी.बी. / आर0ओ0आर0 / सा0–147 (35) / 2022 / 157 दिनांक–06.05.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीपक सिंह)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वनप्रभाग, हरिद्वार।

Scanned with CamScanner

14

वन केस सं० 28/श्यामपुर/2021-22 उक्त कार्यालय के पत्रांक 845/29-1 दिनांक 07 अप्रैल 2022 द्वारा अधिकृत उप वन संरक्षक हरिद्वार द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार को केस माननीय न्यायालय में दायर हेतु भेजा गया है।

वन क्षेत्राधिकारी
श्यामपुर रेंज
हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार

16

दण्ड अधिकारी हरिद्वार की अदालत में

अभियोगी, हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार

बनाम

1–उस व्यक्ति का नाम पूर्ण पते सहित जो अपराध करते हुए देखा या पकड़ा गया। आलोक द्विवेदी पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश, निवासी ग्राम- रसूलपुर कला नलोवाला, थाना- श्यामपुर, जिला-हरिद्वार

2–उस व्यक्ति का नाम (यदि ऐसा हो) जिसकी आज्ञा से अपराध किया गया हो।

3–धारा संख्या इण्डियन फोरेस्ट एक्ट 1927 जिसके अधीन अभियोग किया। भारतीय वन अधिनियम 1927 (उत्तरांचल संशोधन 2001) की धारा– 26 व 41,42 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध।

नाम सरकारी बन्द जंगल जहां अपराध किया गया	किस प्रकार का अपराध किया गया	दिनांक जिस दिन अपराध किया गया	साक्षियों या नाम पिता का नाम पूर्ण पते सहित	विवरण
मिट्ठेवाली बीट मिट्ठेवाली कक्ष सं- 1(a) श्यामपुर रेंज हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार	आरक्षित वन क्षेत्र मिट्ठेवाली कक्ष सं- 1(a) से 1,13400.00 कुन्टल खनन सामग्री का अवैध खनन करना।	दि० 26-11-2021 को अपराध पर नहीं किन्तु [illegible] दि० 23-11-21 से दि० 23-11-21 [illegible]	श्री नारायण सिंह वन दरोगा	रेंज केस सं० 28/2021-22 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 41,42 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध।

विशेष व्याख्या–

1–विवरण माल मूल्य सहित उठाकर ले जाया गया अथवा खराब कर दिया गया 5670.00 घन मीटर या 1,13400.00 कुन्टल मूल्य = 21,88,620.00 रुपये (इक्कीस लाख अट्ठासी हजार छः सौ बीस रुपये)

2–माल अधिकार मे लिया गया या नही

3–अन्य व्याख्या भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 41,42 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करना।

महोदय,

दिनांक 26-11-2021 को समय लगभग प्रातः 10 बजे श्री नारायण सिंह वन दरोगा मय स्टाफ के साथ मिट्ठेवाली बीट के अन्तर्गत मिट्ठेवाली कक्ष सं 1(a) में पहुंचने पर वहां लगभग 50 मीटर दूरी पर खनन गड्ढा मिला जिसकी मौके पर नपत की गयी जो कि

27/01/22

हस्ताक्षर अभियोगी

50 मीटर लम्बा पर बीच कैंप 20 मीटर गड्ढा पाया है यह कार्यवाही कर्मी
द्वारा दिनांक 11.2021 को प्रमाणित सर्वेयर परिक्षेत्र वन क्षेत्राधिकारी मारा वन
क्षेत्राधिकारी फतेहपुर प्रभारी वन दल, प्रतिमा प्रभार दरोगा एवं निरीक्षण
वेल की दरोगा की उपस्थिति में निरीक्षण के फलस्वरूप मुकदमा सं० 05 में
निरीक्षण हेतु के मिट्टी का बाल अधिकृत वन में स्थित है कार्यवाही
आगे हेतु कोई किया जाना लिखकर रिपोर्ट निर्धारित सर्वेयर द्वा० दिनांक
26.11.2021 को श्री मान उप वन संरक्षक प्रतिशा को प्रेषित की गयी है संबंधित
प्रकार मामले के न्यायालय व वाद स्वामित्व हेतु विवेद्य स्थल किया गया है उक्त
वन क्षेत्र की सीमा पर कोई सीमा स्तम्भ मौजूद नहीं है यह अवैध खनन स्थल
रिवर ड्रेनिंग खनन पट्टा चालू होने के उपरान्त भी हुआ है जो कि पट्टाधारक
आलोक त्रिवेदी की सीमा से लगा हुआ है निकट।

महोदय निवेदन यह भी सिद्ध होता है कि मा० निर्गत वन क्षेत्र मिट्टी
खसरा सं० 1(A) के अवैध खनन की आलोक त्रिवेदी द्वारा किया गया है जिसका
स्थानीय व अन्य के आधार पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व
41, 42 के अन्तर्गत अपराध घटित बनता है।

अतः निवेदन है कि सम्बन्धित व्यक्ति को उपरोक्त अभियुक्त को उचित
दण्ड से दंडित करने की कृपा करें।

Amit Kumar 27/03/22
(अमित कुमार)
वन दरोगा/अन्य अधिकारी
श्यामपुर रेंज
रेंज केस सं० - 28/2021-22

सेवा में,

उप वन संरक्षक
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी

विषय:- मिट्टी बेरी क० सं० 1 (A) खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके आदेशों के अनुपालन में दि० 25-11-2021 को उप प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी के निर्देशन में तथा वन क्षेत्राधिकारी श्यामपुर, सुरक्षा वन प्रभारी एवं अन्य रेंज स्टाफ के साथ श्यामपुर रेंज के अन्तर्गत लगी हुई वन सीमा खनन क्षेत्र (राजस्व भूमि) का सीमांकन सर्वेक्षण किया गया जिसमें कि श्यामपुर रेंज के क०सं० 1 'ए' के अन्तर्गत भी अवैध खनन हुआ है जिसकी कि मौके पर नपत की गई जो कि निम्न प्रकार से है उपरोक्त खनन मुनारा सं० 107, 106 की सीमा पर हुआ है।

नपत:- (50 मी० X 42 मी० X 2.70) मी³

अतः रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

दि० 26-11-2021

भवदीय
(हरीश [illegible])
सर्वेयर
हल्द्वानी वन प्रभाग

प्रतिलिपि:- वन क्षेत्राधिकारी श्यामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हरीश [illegible])
सर्वेयर
हल्द्वानी वन प्रभाग

127 क्रम संख्या 27 19

रेन्ज केस सं० 28/स्था०/2021-22

भाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) [illegible] हरिद्वार वन प्रभाग (डिवीजन) हरिद्वार

वन्य अपराध [illegible] प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० 04/2021 दिनांक 26/11/20 (अधिक्षेत्र रेंज) श्यामपुर

१—नाम, पिता का नाम और निवास स्थान — अज्ञात वाहन चालक एवं वाहन स्वामी।

२—साक्षी का नाम — [illegible] नारायण सिंह व० र०

३—कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक — दिनांक 26/11/2021 को आरक्षित वन भोगी बेरी क० सं० 1 A में अवैध रूप से खनन करना

४—मूल्य

५—चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन — भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 सपठित 41, 42 (उत्तराखण्ड संशोधन 2001) के अन्तर्गत अपराध।

६—प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख — महोदय- दिनांक 26/11/2021 को समय लगभग [illegible] 10 बजे [illegible] दर्ज साक्षी के साथ भोगी बेरी बीट के [illegible] भोगी बेरी क० सं० 1 A में पहुंचने पर वन क्षेत्र से लगभग 50 मीटर [illegible] पर एक गड्ढा पाया जिसकी मौके पर नाप की गयी जो कि 50 मीटर [illegible] 42 मीटर चौड़ा 2.70 मीटर गहरा है यह कार्यवाही आपके द्वारा दिनांक [illegible]/11/2021 को प्रभागीय सर्वेयर हरिद्वार वन प्रभाग [illegible] वन क्षेत्राधिकारी [illegible] प्रभागीय सुरक्षा दल प्रभारी हरिद्वार वन [illegible] चिड़ियापुर [illegible] रेंज में [illegible] [illegible] के स्वामी की उपस्थिति में चिड़ियापुर रेंज के भोगी बेरी क० सं० 2 आरक्षित वन में स्थित [illegible] की चिड़ियापुर रेंज के भोगी बेरी [illegible] [illegible] आधार [illegible] द्वारा सर्वे किया गया जिसकी रिपोर्ट [illegible] [illegible] द्वारा दिनांक 26/11/2021 को [illegible] उपवन संरक्षक हरिद्वार को [illegible] की गयी है महोदय अज्ञात वाहन, चालकों व वाहन स्वामियों [illegible] अवैध खनन किया गया है प्रश्नगत वन क्षेत्र की सीमा पर कोई सीमा [illegible] मौजूद नहीं है। यह अवैध खनन [illegible] रिवर ट्रेनिंग [illegible] चालू [illegible] अपरान्त [illegible] हुआ है जो कि पट्टा धारक [illegible] की सीमा से लगा है [illegible]। प्रथम प्रसूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित है।

प्रति प्रति — श्रीमान उप वन संरक्षक [illegible] [illegible] उ० प्र० व० तहसीलदार श्री [illegible] [illegible]

26/11/2021

(राजेश कुमार)

व० र०

वन क्षेत्राधिकारी

श्यामपुर रेंज

हरिद्वार वन प्रभाग

भोगी बेरी बीट

प्रति प्रति — श्री [illegible] कुमार [illegible] रेंज श्री [illegible] [illegible] हेतु।

प्रभारी का अनुमति

[illegible]

(नारायण सिंह)

वन दरोगा

वन क्षेत्राधिकारी

अन्तिम जाँच रिपोर्ट केस संख्या 28/2021-22

1. अभियुक्त का नाम – आलोक त्रिवेदी पुत्र श्री चन्द्र गुलाम
निवासी ग्राम- रसूलपुर थाना नजीबाबाद
थाना - श्यामपुर, जिला - हरिद्वार

2. साक्षी का नाम – श्री नारायण सिंह (वन दरोगा)

3. घटित अपराध – दि0 26-11-2021 को आरक्षित वन मिठेवेरी कक्ष 08 1(ए) में अवैध रूप से खनन करता पाया जाना।
नाप – 50 मीटर × 42 मीटर × 2.70 मीटर

4. चालान – भारतीय वन अधिनियम 1927 (उत्तराखण्ड संशोधन 2001) की धारा - 26 सहपठित 41, 42 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध।

5. प्रतिकर मूल्य – लम्बाई × चौड़ाई × गहराई
50 मीटर × 42 मीटर × 2.70 मीटर = 5670.00 घन मीटर = 113400 कु0
(वन विभाग की रायल्टी दर के अनुसार मूल्य = 19.30 रु0/कुन्तल)
अवैध खनन हेतु खनन सामग्री का मूल्य 113400 कु0 × 19.30 = 2188620.00 रु0
दुगना = + 2188620.00 रु0
4377240.00

महोदय,

उक्त केस सं0 28/2021-22 की जाँच मेरे द्वारा ग्रहण की गयी तत्पश्चात दि0 01-12-2021 को श्री राजेश कुमार वन आरक्षी/बीट प्रभारी को साथ लेकर घटना स्थल का निरीक्षण कर मौके पर नजरिया नक्शा तैयार किया गया व अवैध खनन हेतु आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि का नाप की गयी जोकि उक्त भूमि खनन से हुये नाप के मिलान करते सही पायी गयी तत्पश्चात दि0 02-12-2021 को उक्त केस कार्यकर्ता श्री राजेश कुमार बीट प्रभारी के बयान दर्ज किये गये तत्पश्चात जाँच को आगे बढ़ाते हुये जिलाधिकारी कार्यालय हरिद्वार वन भूमि प्रकाश से अवैध खनन मार्ग के दि0 21-11-2021 से दि0 28-11-2021 से निकाली हुई खनन की मार्ग सहायता हेतु पंजिका की छाया प्रति प्राप्त की गयी उक्त मार्ग सहायता पंजिका के अभिलेखों का अध्ययन किया

[signature]
अमित कुमार वन दरोगा जाँच अधिकारी
श्यामपुर रेंज